प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

दाण्डिक अपील क्रमांक: 76/1991

संजय

विरुद्ध

मध्यप्रदेश राज्य

(वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एवं

(संबद्ध दाण्डिक अपील क्रमांक 28/91; 47/91 और 88/91)

निर्णय

निर्णय की घोषणा के लिए सूचीबद्ध करें : दिनांक 19/10/2010

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकलपीठ: माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति

दाण्डिक अपील क्रमांक: 76/1991

अपीलार्थी संजय, आयु लगभग 18 वर्ष,

पिता – शंभूनाथ चटर्जी,

पुलिस थाना – मनेन्द्रगढ़

विरुद्ध

प्रत्यर्थी मध्यप्रदेश राज्य

(वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दाण्डिक अपील क्रमांक: 28/1991

अपीलार्थी

1. वीरेंद्र प्रसाद, पिता – बाबूलाल हरिजन, आयु 22 वर्ष, निवासी – पक्का धोरा, खोंगापानी, पुलिस थाना – मनेन्द्रगढ़, जिला – सरगुजा, मध्यप्रदेश (वर्तमान में जिला – कोरिया, छत्तीसगढ़)

2. घनाराम, पिता – बुड्डू साहू, आयु 23 वर्ष, निवासी – पोखरी दफाई, खोंगापानी, पुलिस थाना – मनेन्द्रगढ़, जिला – सरगुजा, मध्यप्रदेश (वर्तमान में जिला – कोरिया, छत्तीसगढ़)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी मध्यप्रदेश राज्य

(वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

दाण्डिक अपील क्रमांक: 47/1991

अपीलार्थी श्री अशोक कुमार, पिता – बाबूलाल मनिहार, आयु 22 वर्ष, निवासी – ग्राम लेदरी, पुलिस थाना – मनेन्द्रगढ़, जिला – सरगुजा, मध्यप्रदेश (वर्तमान में जिला – कोरिया, छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

दाण्डिक अपील क्रमांक 76/91;28/91;47/91 और 88/91

प्रत्यर्थी मध्यप्रदेश राज्य

(वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

एवं

दाण्डिक अपील क्रमांक: 88/1991

अपीलार्थी देशराज, पिता – चंद्रिका प्रसाद यादव, आयु 18 वर्ष, निवासी – अमाबेरवा, मनेन्द्रगढ़

विरुद्ध

प्रत्यर्थी मध्यप्रदेश राज्य
(वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

(<u>भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374(2) के अधीन प्रस्तुत दाण्डिक अपीलें</u>)

<u>उपस्थित:-</u> अपीलार्थी की ओर से – श्री गुरुदेव आई. शरण, अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी /राज्य की ओर से – श्री यू. एन. एस. देव, शासकीय अधिवक्ता तथा श्री राजेंद्र त्रिपाठी, पैनल अधिवक्ता।

<u>निर्णय</u>

(19.10.2010)

<u>माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. ये अपीलें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मनेन्द्रगढ़ द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 16/89 में पारित दिनांक 3.1.91 के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई हैं।

2. आक्षेपित आदेश द्वारा अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 450 एवं 395/397 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है तथा प्रत्येक को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश पारित किया गया, साथ ही यह निर्देश दिया गया कि सभी दंडादेश साथ-साथ चलें।

3. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:—

शिकायतकर्ता गोपाल शरण सिंह (अ.सा.-5), पश्चिम झगराखंड कोलियरी (कोयले की खान) में वरिष्ठ पर्सनल अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। दिनांक 30.7.88 को लगभग रात्रि 8.00 बजे, वे अपने घर में अपनी पत्नी, दो बच्चों तथा बच्चों के शिक्षक के साथ घर में उपस्थित थे। उसी समय छः-सात व्यक्ति, जिन्होंने अपने चेहरे ढँके हुए थे, उनके घर में घुस

आए और पिस्तौल/देशी कट्टा की नोक पर डकैती कारित की। डकैतों ने शिकायतकर्ता की पत्नी श्रीमती मृदुला सिंह से एक सोने की अंगूठी छीन ली तथा शिक्षक अरुण कुमार से कलाई घड़ी भी छीन ली। उपरोक्त के अतिरिक्त, हमलावरों ने 3 तोला वज़न की एक सोने की चैन, एक सोने का सिक्का, एक तोले की एक सोने की गिन्नी, एक तोले की सोने की छड़, 1 किलोग्राम वज़न की एक चांदी की कमरधनी, 10 तोला वज़न की चांदी की पायलें तथा कुछ पुराने सिक्के भी ले गए। हमलावरों ने शिकायतकर्ता पर प्रहार किया था। गोपाल शरण सिंह (अ.सा.-5) ने इस संबंध में संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श- पी/16) दर्ज कराई तथा पुलिस को सामग्री की सूची (प्रदर्श- पी/16-ए) भी प्रस्तुत किया। अन्वेषण के दौरान, अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दर्ज प्रकटीकरण के कथनों के आधार पर, अभियुक्त देशराज के निशानदेही पर एक देशी कट्टा एवं कारतूस, अभियुक्त घनाराम के निशानदेही पर एक चाकू, तथा अभियुक्त वीरेन्द्र प्रसाद के निशानदेही पर एक अन्य चाकू एवं एक चांदी की पायल जब्त की गई। दिनांक 22.8.88 को अभियुक्तों को उप-जेल बैकुंठपुर में आयोजित पहचान कार्यवाही में उपस्थित किया गया, जिसमें देशराज, वीरेन्द्र प्रसाद, घनाराम एवं संजय की पहचान की गई। अभियुक्त अशोक कुमार को दिनांक 21.9.88 को गिरफ्तार किया गया तथा उसे दिनांक 2.11.88 को उप-जेल बैकुंठपुर में पहचान कार्यवाही हेतु उपस्थित किया गया, जिसमें शिकायतकर्ता गोपाल शरण सिंह ने उसकी पहचान की। पहचान कार्यवाहियां कार्यपालक दंडाधिकारी श्री अल्फाजुद्दीन द्वारा संपादित की गईं। पहचान के कार्यवाही से संबंधित पत्रक (मेमो) क्रमशः प्रदर्श- पी/17, पी/18, पी/19, पी/20 एवं पी/21 हैं। अभियुक्त वीरेन्द्र प्रसाद के कब्जे से जब्त की गई चांदी की पायल की भी पहचान कार्यवाही कराई गई, किंतु उसे शिकायतकर्ता या उसके परिजनों द्वारा पहचाना नहीं गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सामान्य अन्वेषण के उपरांत, आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनेन्द्रगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने मामले को सत्र न्यायालय, अंबिकापुर को उपार्पित किया। वहाँ से यह मामला अंतरण पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मनेन्द्रगढ़ के न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिन्होंने विचारण उपरांत अपीलकर्ताओं को उपरोक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया ।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/16) में किसी भी अपीलकर्ता का नाम उल्लिखित नहीं था। अपीलकर्ताओं के कब्जे से डकैती की किसी भी संपत्ति की जब्ती का कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं था। अपीलकर्ता वीरेन्द्र प्रसाद के कब्जे से कथित रूप से जब्त की गई पायल की पहचान शिकायतकर्ता द्वारा इस रूप में नहीं की गई कि वह उसकी या उसके परिवार की हो। माननीय सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्तों के प्रकटीकरण कथनों के आधार पर कथित रूप से जब्त किए गए कट्टे एवं चाकुओं के संबंध में, साक्षी ननकुराम (अ.सा.-2) एवं उपनिरीक्षक ए. एन. शुक्ला (अ.सा.-6) के साक्ष्य का समुचित विवेचन करने के पश्चात, उक्त जब्ती साक्ष्यों पर विश्वास नहीं किया। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने यह भी अवधारित किया कि केवल उनके वस्त्रों की जब्ती के आधार पर अपीलकर्ताओं को अभियोजन अपराध से संबद्ध नहीं किया जा सकता, और इस संबंध में प्रस्तुत समस्त साक्ष्य को अविश्वसनीय माना गया। सत्र विचारण के दौरान, शिकायतकर्ता गोपाल शरण सिंह (अ.सा.-5) ने किसी भी अपीलकर्ता की पहचान नहीं की। इसके उपरांत भी, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अन्वेषण के दौरान संपादित अभियुक्तों की पृथक-पृथक पहचान कार्यवाहियों में शिकायतकर्ता द्वारा की गई पहचान के आधार पर अपीलकर्ताओं को दोषसिद्ध ठहराया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलों के दाखिल होने के उपरांत, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 16/89, न्यायालय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मनेन्द्रगढ़ के अभिलेख, दाण्डिक

अपील क्रमांक 28/91 में तलब किए गए। उक्त दाण्डिक अपील में सत्र न्यायालय के अभिलेख उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश को प्राप्त हुए। तत्पश्चात अभिलेख का 'अ' भाग दिनांक 21.05.1991 को जिला दण्डाधिकारी, सरगुजा (अंबिकापुर) को प्रेषित किया गया, किंतु उसके उपरांत उक्त 'अ' भाग का अभिलेख न तो उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश में और न ही उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश से अपीलों के स्थानांतरण के बाद उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ में वापस प्राप्त हुआ। इस संबंध में अनेक प्रयास किए जाने के बावजूद जब सत्र प्रकरण क्रमांक 16/89 के अभिलेख का 'अ' भाग प्राप्त नहीं हुआ, तब इस न्यायालय ने दिनांक 02.08.2010 को रजिस्ट्रार (न्यायिक) को निर्देशित किया कि वे दो सप्ताह के भीतर इस संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) ने दिनांक 27.08.2010 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उल्लेख किया गया कि अभिलेख सर्वप्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर के अभिलेखागार से ज्ञापन क्रमांक डी.बी.-31/91, दिनांक 14.03.1991 के माध्यम से उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश को प्रेषित किए गए थे। यह अभिलेख उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश को प्राप्त हुए, तत्पश्चात उन्हें पुनः जिला दण्डाधिकारी, अंबिकापुर के कार्यालय को भेजा गया, परंतु उसके बाद वे न तो इस न्यायालय की रजिस्ट्री में लौटाए गए और न ही उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश को। यह प्रतिवेदन दाण्डिक अपील क्रमांक 76/91 के अभिलेखों में संलग्न है। उक्त प्रतिवेदन का अवलोकन करने के उपरांत, दिनांक 30.09.2010 को दाण्डिक अपीलों (क्रमांक 76/91, 28/91, 47/91 एवं 88/91) की सुनवाई के दौरान, श्री यू. एन. एस. देव, विद्वान् शासकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उन्हें अभिलेख प्राप्त करने या उनकी वर्तमान स्थिति से न्यायालय को अवगत कराने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाए। विद्वान् शासकीय अधिवक्ता द्वारा किए गए उक्त निवेदन के आधार पर अपीलों की सुनवाई 06 अक्टूबर, 2010 तक स्थगित की गई, तथा यह निर्देश दिया गया कि उक्त तिथि को विद्वान्

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शासकीय अधिवक्ता या जिला दण्डाधिकारी, अंबिकापुर के कार्यालय के किसी उत्तरदायी अधिकारी द्वारा पूर्ण जानकारी प्राप्त कर न्यायालय के समक्ष वास्तविक स्थिति प्रस्तुत की जाए। उक्त प्रयासों के दौरान, दिनांक 30.08.2010 को अपीलकर्ताओं के विद्वान् अधिवक्ता को यह निर्देश दिया गया कि वे उनके पास उपलब्ध समस्त दस्तावेजों सहित तीन प्रतियों में पेपरबुक प्रस्तुत करें। पेपरबुक दिनांक 13.09.2010 को प्रस्तुत की गई, जिसे अभिलेख पर संलग्न कर लिया गया।

6. दिनांक 06.10.2010 को अपीलों को सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया और इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किए गए:—

"श्री गुरुदेव शरण, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता।

श्री यू. एन. एस. देव, शासकीय अधिवक्ता तथा श्री आर. त्रिपाठी, राज्य के लिए पैनल अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री यू. एन. एस. देव, विद्वान् शासकीय अधिवक्ता तथा श्री आर. त्रिपाठी, विद्वान् पैनल अधिवक्ता ने निवेदन किया कि जिला दण्डाधिकारी, अंबिकापुर के कार्यालय में यथासंभव सर्वोत्तम प्रयास किए जाने के बावजूद सत्र प्रकरण क्रमांक 16/89 के अभिलेखों का पता नहीं लगाया जा सका है, तथा इस संबंध में सरगुजा, अंबिकापुर (छ.ग.) के अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के शपथपत्र के साथ एक लिखित निवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट घोषणा की गई है कि उक्त अभिलेख जिला दण्डाधिकारी, सरगुजा, अंबिकापुर के कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं।

इन अपीलों से संबंधित एक पेपरबुक अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसकी एक प्रति राज्य के अधिवक्ता को भी प्रदान की गई है।

वर्ष 1991 से आज तक की समग्र स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, दोनों पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि इन अपीलों की सुनवाई तथा निराकरण

अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पेपरबुक में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किया जा सकता है, तथा अपीलकर्ताओं एवं राज्य पक्ष के अधिवक्ताओं को इन अभिलेखों (पेपरबुक में उपलब्ध) के आधार पर अपीलों के निस्तारण में कोई आपत्ति नहीं है।

चूँकि समस्त संबंधित पक्षों द्वारा किए गए सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, सत्र प्रकरण क्रमांक 16/89, जिसका विचारण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मनेन्द्रगढ़, जिला सरगुजा [वर्तमान में जिला कोरिया], छत्तीसगढ़ द्वारा किया गया था, के अभिलेख का 'अ' भाग अनुपलब्ध है, अतः दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में यह निर्देश दिया जाता है कि इन अपीलों का निस्तारण इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पेपरबुक में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किया जाएगा।

इन प्रकरणों को अंतिम सुनवाई हेतु दिनांक 07.10.2010 को सूचीबद्ध किया जाए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उपर्युक्त समस्त कार्यवाही के उपरांत, प्रकरणों को अंतिम सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसकी सुनवाई दिनांक 08.10.2010 को संपन्न हुई।

8. श्री गुरुदेव आई. शरण, अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि विद्वान् सत्र न्यायाधीश ने केवल अन्वेषण के दौरान संपादित अभियुक्तों की पहचान कार्यवाही (टी.आई.पी.) में की गई पहचान के आधार पर अपीलकर्ताओं को दोषसिद्ध कर विधि की त्रुटि की है, जबकि अपीलकर्ताओं की पहचान न तो शिकायतकर्ता द्वारा और न ही किसी अन्य अभियोजन साक्षी द्वारा विचारण के दौरान की गई थी। उनका तर्क यह था कि पहचान कार्यवाही में अभियुक्त की, की गई पहचान कोई सारभूत साक्ष्य नहीं होती, अतः केवल ऐसे साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि किया जाना विधिसम्मत नहीं है।

9. दूसरी ओर, श्री यू. एन. एस. देव, विद्वान् शासकीय अधिवक्ता एवं श्री आर. त्रिपाठी, विद्वान् पैनल अधिवक्ता, जो राज्य की ओर से प्रस्तुत हुए, ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का समर्थन किया।

10. मैंने पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना और प्रस्तुत पेपरबुक में संलग्न अभिलेखों का भी अवलोकन किया।

11. **संपत तात्यादा शिंदे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 791** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि – "पहचान परीक्षण संबंधी साक्ष्य, साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अधीन ग्राह्य है; यह, अधिक से अधिक, सहायक साक्ष्य का स्वरूप रखता है। इसे केवल इस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है कि न्यायालय में साक्षियों द्वारा अभियुक्त को दाण्डिक कृत्य के कर्ता के रूप में की गई पहचान के मूल साक्ष्य को पुष्ट किया जा सके। साक्षियों द्वारा पहचान परीक्षण परेड में की गई पूर्व पहचान अपने आप में कोई स्वतंत्र साक्ष्य-मूल्य नहीं रखती। साथ ही, परीक्षण पहचान ही वह एकमात्र साक्ष्य नहीं है जिसके माध्यम से न्यायालय में साक्षी द्वारा अभियुक्त की अपराधी के रूप में की गई पहचान की साक्ष्य की पुष्टि की जा सके।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. **जॉर्ज विरुद्ध केरल राज्य, ए.आई.आर. 1998 एस.सी. 1376** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि – "न्यायालय में अभियुक्त की की गई पहचान, पहचान करने वाले व्यक्ति की सारभूत साक्ष्य होती है, और पहचान कार्यवाही में की गई उसकी पूर्व पहचान, उसी की पुष्टि करती है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो, यदि पहचान कार्यवाही में पूर्व पहचान का साक्ष्य उपलब्ध न भी हो, तो भी न्यायालय में की गई पहचान की साक्ष्य की ग्राह्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।"

13.**<u>दया सिंह विरुद्ध हरियाणा राज्य, ए.आई.आर. 2001 एस.सी. 1188</u>** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि — "पहचान कार्यवाही का उद्देश्य यह होता है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा की गई पहचान के साक्ष्य को पूर्व पहचान के रूप में पुष्टिकरण प्राप्त हो सके, और यह कि किसी साक्षी की मूल साक्ष्य वह होती है जो न्यायालय में दी जाती है।"

14.**<u>मुंशी सिंह गौतम (मृत) एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य, (2005) 9 एस.सी.सी. 631 में</u>** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका 17 में यह अवधारित किया है कि — "यह सर्वविदित सिद्धांत है कि मूल साक्ष्य वह है, जो न्यायालय में की गई पहचान का साक्ष्य होता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के स्पष्ट उपबंधों के अतिरिक्त, इस विषय में विधिक स्थिति इस न्यायालय के अनेक निर्णयों द्वारा भली-भांति स्थापित है। वे तथ्य, जो अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान स्थापित करते हैं, साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के अधीन सुसंगत हैं। सामान्य नियम के अनुसार, किसी साक्षी की मूल साक्ष्य वह कथन होता है जो न्यायालय में दिया जाता है। केवल विचारण के दौरान पहली बार अभियुक्त की, की गई पहचान मात्र का साक्ष्य अपने स्वभाव से ही दुर्बल प्रकृति का माना जाता है। अतः पहचान कार्यवाही का पूर्व आयोजन करने का उद्देश्य यह होता है कि उस साक्ष्य की विश्वसनीयता की परीक्षा ली जा सके और उसे सुदृढ़ किया जा सके। इसी कारण, यह एक सुरक्षित विवेक का नियम माना गया है कि जब अभियुक्त साक्षियों के लिए अपरिचित हों, तब न्यायालय में साक्षियों द्वारा अभियुक्त की पहचान संबंधी शपथ-पुष्ट साक्ष्य के समर्थन में पूर्व पहचान परीक्षण की कार्यवाही के रूप में पुष्टिकरण देखा जाए। हालाँकि, यह विवेक का नियम कुछ अपवादों के अधीन है — जैसे कि जब न्यायालय किसी विशेष साक्षी से अत्यधिक प्रभावित हो और उसकी साक्ष्य पर बिना किसी अतिरिक्त पुष्टिकरण के भी विश्वास करना सुरक्षित समझे। पहचान कार्यवाही अन्वेषण की अवस्था अर्थात चरण से संबंधित होती है, और दण्ड प्रक्रिया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संहिता में कोई ऐसा उपबंध नहीं है जो अन्वेषण अभिकरण को पहचान कार्यवाही आयोजित करने के लिए बाध्य करता हो अथवा अभियुक्त को ऐसी पहचान कार्यवाही की मांग करने का कोई अधिकार प्रदान करता हो। ऐसी पहचान कार्यवाही सारभूत साक्ष्य नहीं होतीं तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अधीन अधिशासित होतीं है। पहचान कार्यवाही आयोजित न किए जाने से न्यायालय में की गई पहचान की साक्ष्य की ग्राह्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी पहचान साक्ष्य को कितना महत्व दिया जाए, यह न्यायालय के लिए का तथ्यात्मक विषय है। उचित परिस्थितियों में न्यायालय, बिना किसी पुष्टिकरण पर जोर दिए भी, पहचान संबंधी साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है। (देखें —कांता प्रसाद विरुद्ध दिल्ली प्रशासन, ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 350; वैकुंटम चंद्रप्पा विरुद्ध आंध्रप्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 1960 एस.सी. 1340; बुधसेन एवं अन्य विरुद्ध उत्तरप्रदेश राज्य, (1970) 2 एस.सी.सी. 128; तथा रामेश्वर सिंह विरुद्ध जम्मू एवं कश्मीर राज्य, (1971) 2 एस.सी.सी. 715)”

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15.अतः यह स्पष्ट है कि अपराध की अन्वेषण प्रक्रिया के दौरान संपादित की जाने वाली पहचान कार्यवाही सारभूत साक्ष्य का स्वरूप नहीं रखतीं। इनका एक उद्देश्य यह होता है कि अन्वेषण अभिकरण को यह सुनिश्चित करने में सहायता मिल सके कि अपराध की अन्वेषण सही दिशा में प्रगति कर रही है। पहचान कार्यवाही मूलतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अधीन संचालित होती हैं, और उनका एक अन्य उद्देश्य यह है कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा दी गई साक्ष्य को पूर्व पहचान के रूप में पुष्टिकरण प्राप्त हो सके। अतः, केवल अन्वेषण के दौरान संपादित पहचान कार्यवाही के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। अभियुक्त की पहचान का वास्तविक और मूल साक्ष्य तब प्राप्त होता है जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित होकर अभियुक्त की पहचान करते हुए अपना कथन देते या करते हैं।

16. वर्तमान मामले में, जैसा कि उपर्युक्त उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ताओं की न्यायालय में पहचान नहीं की गई। गोपाल शरण सिंह (अ.सा.-5) ने कथन किया है कि वे न्यायालय में अपीलकर्ताओं की पहचान करने में असमर्थ हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कथन किया है कि काफी समय बीत जाने के कारण वे यह भी नहीं कह सकते कि अन्वेषण के दौरान संपादित पहचान कार्यवाही में उन्होंने अपीलकर्ताओं या उनमें से किसी एक की पहचान की थी या नहीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि न्यायालय में अपीलकर्ताओं को देखने के बाद वे यह नहीं कह सकते कि क्या वे वही व्यक्ति थे जिन्होंने उनके घर में प्रवेश किया था या नहीं। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी (अ.सा.-5) को पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया। उपर्युक्त कथन उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में किये हैं। यहाँ तक कि न्यायालय में तथा पहचान परीक्षण परेडों में अपीलकर्ताओं की पहचान से उनके स्पष्ट इनकार करने के पश्चात भी, माननीय सत्र न्यायाधीश ने यह अवधारित करते हुए अपीलकर्ताओं को दोषसिद्ध किया कि साक्षी ने यह स्वीकार किया था कि पहचान कार्यवाही आयोजित की गई थीं जिनमें उसने हमलावरों की पहचान की थी और इस संबंध में प्रपत्र (मेमो) तैयार किए गए थे। हम यह भी ध्यान देते हैं कि पहचान कार्यवाही संपादित करने वाले कार्यपालक दण्डाधिकारी का भी परीक्षण नहीं किया गया क्योंकि उनका निधन हो चुका था। अतः यह स्पष्ट है कि माननीय सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को ऐसे साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया जो पहचान कार्यवाही से संबंधित था, जो कि सारभूत साक्ष्य नहीं है, और ऐसे साक्ष्य के आधार पर की गई दोषसिद्धि विधिसम्मत रूप से टिक नहीं सकती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. उपरोक्त कारणों के आधार पर, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 450 एवं 395/397 के अधीन अपीलकर्ताओं को दी गई दोषसिद्धि एवं दण्डादेश अपास्त किए जाते हैं। अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध विरचित किये गए आरोपों से

दोषमुक्त किया जाता है। यह उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्तागण जमानत पर हैं। अतः उनकी जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा उनके प्रतिभूओं को दी गयी प्रतिभूति से उन्मोचित किया जाता है।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Prashant Kumar